GOVERNMENT OF INDIA/भारत सरकार

MINISTRY OF RAILWAYS/रेल मंत्रालय

(Railway Board) रेलवे बोर्ड

S.No.PC-VI/ 344 RBE No. 68

No PC-V/2010/A/TA/1 New Delhi, dated 7 .07.2014

The General Manager/CAO(R)
All Zonal Railways & PUs
(As per mailing list)

Sub:-Grant of Transport Allowance @ 7000+DA thereon to officers drawing Grade Pay of ₹10000, ₹12000 on Non-functional basis-clarification reg.

References have been received from Zonal Railways seeking clarifications as regards admissibility of Transport Allowance @₹7000 p.m plus D.A thereon to the officers drawing Grade Pay of ₹10000, ₹12000 on Non-functional basis. In this context, attention is invited to para-3 of Board's letter dt.12.09.08 which stipulates as under:-

> 'Officers drawing grade pay of ₹10,000 & ₹12000 and those in the HAG+Scale, who are entitled to the use of official car in terms of Board's letter No. E(G)95AL4-9, dated 06-11-1995 shall be given the option to avail themselves of the existing facility or to draw the Transport Allowance at the rate of ₹7000/- p.m plus Dearness Allowance thereon."

2. Further, in terms of Board's letter dt. 06.11.1995 "Head of the Deptt. of Railways in SA Grade in scale ₹5900-6700(now GP of ₹10000/PB-4)" are entitled for use of official car.

3. From the above, it is evident that only those Officers who are drawing Grade Pay of ₹10000 by virtue of holding functional post are entitled for the use of official car facility. As such, the option for Transport Allowance @ 7000/- p.m plus D.A thereon is available to them only. Those officers who are upgraded to Grade Pay of ₹10000/PB-4 scale on the basis of Dynamic ACP or due to non-functional in-situ upgradation shall not be eligible for the same.

4. In view of the above, necessary remedial action, if any, may be taken accordingly.

5. This issues with the concurrence of Finance Dte. of Railway Board.

(N.P.Singh)
Dy.Director, Pay Commission - V
Railway Board

(This disposes off C.Rly.'s letter No.HPB/Gaz.Bills/Transport Allowance, dated 26.02.2014)

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

क्र. सं. पीसी-VI-----344----- आरबीई सं. -----68-----

सं. पीसी-V/2010/ए/टीए/1 नई दिल्ली, दिनांक 07.07.2014

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी(आर)
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
(डाक सूची के अनुसार)

विषय : गैर-कार्यात्मक आधार पर ग्रेड पे ₹10000 रुपए, ₹12000 रुपए प्राप्त करने वाले अधिकारियों को @7000 परिवहन भत्ता + उसपर महंगाई भत्ता देने के संबंध में स्पष्टीकरण।

क्षेत्रीय रेलों से संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिनमें कार्यात्मक आधार पर ₹10000 रुपए, ₹12000 रुपए ग्रेड पे प्राप्त करने वाले अधिकारियों को @7000 रुपए परिवहन भत्ता + उसपर महंगाई भत्ता की स्वीकार्यता के संबंध में स्पष्टीकरण मांगी गई है। इस विषय में, बोर्ड के दिनांक 12.09.08 के पत्र के पैरा-3 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें निम्नानुसार अनुबंध किया गया है:-

> "वे अधिकारी जिनका ग्रेड पे ₹10,000 रुपए और ₹12000 रुपए है और वे जो एचएजी+ वेतनमान में हैं, जो बोर्ड के दिनांक 06.11.1995 के पत्र सं. ई(जी)95एएल4-9 के अनुसार सरकारी गाड़ी का उपयोग करने के पात्र हैं, उन्हें मौजूदा सुविधा अथवा ₹7000 रुपए प्रति माह की दर से परिवहन भत्ता + उसपर महंगाई भत्ता प्राप्त करने का विकल्प दिया जाएगा।"

2. इसके अलावा, बोर्ड के दिनांक 06.11.1995 के पत्र के अनुसार, "₹5900-6700 रुपए (अब ग्रेड पे ₹10000 रुपए/पे बैंड-4) वेतनमान में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में रेल विभागाध्यक्ष" सरकारी गाड़ी का उपयोग करने के पात्र हैं।

3. उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि केवल वे अधिकारी जो कार्यात्मक पद धारण करने के आधार पर ₹10000 रुपए ग्रेड पे में हैं, सरकारी गाड़ी का उपयोग करने के पात्र हैं। अत: ₹7000 रुपए प्रतिमाह परिवहन भत्ता + उसपर महंगाई भत्ता का विकल्प केवल उन्हीं अधिकारियों के लिए मौजूद है। वे अधिकारी जिन्हें डायनेमिक एसीपी के आधार पर या अपग्रेडेशन के बदले गैर-कार्यात्मकता के कारण ग्रेड पे ₹10000 रुपए/वे बैंड-4 वेतनमान में अपग्रेड किया गया है, उसके लिए पात्र नहीं हैं।

4. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, यदि कोई निवारक कार्रवाई आवश्यक हो तो तदनुसार की जा सकती है।

5. इसे रेलवे बोर्ड के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

(एन. पी. सिंह)
उप निदेशक, वेतन आयोग - V
रेलवे बोर्ड

(इससे मध्य रेलवे के दिनांक 26.02.2014 के पत्र सं. एचपीबी/गज.बिल्स/ट्रांसपोर्ट अलाउन्स का निपटारा हो जाता है)